

भारतीय मानक ब्यूरो
(हिंदी विभाग)

संदर्भ : हिंदी /प्रशि./ 2024-25


दिनांक: 12.07.2024

विषय : हिंदी भाषा प्रशिक्षण के "पारंगत" पाठ्यक्रम के जुलाई-नवंबर 2024 सत्र हेतु नामित करना।

हिन्दी शिक्षण योजना के पत्र संख्या 3/8/2022-23 उनि. (मध्य)/789 दिनांक 23/4/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि हिंदी भाषा प्रशिक्षण के "पारंगत" पाठ्यक्रम का आगामी सत्र जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा जिसका कार्यक्रम संलग्न है।

जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान (working knowledge) प्राप्त हैं वे कृपया अपना नाम हिंदी भाषा के 'पारंगत' प्रशिक्षण हेतु नामित कराएं। यह पाठ्यक्रम हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से प्रारंभ किया गया है। कृपया अपने नामांकन विभाग प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में 05.07.2024 तक हिंदी विभाग को भेज दे। "पारंगत" परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी पात्रता अनुसार नकद पुरस्कार के पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि "पारंगत" प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त होने पर बीआईएस मुख्यालय में ही प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था रहेगी।


(विनोद कालरा)
प्रमुख (हिंदी)

बीआईएस मुख्यालय के सभी विभागों, एनआईटीएस, केंद्रीय प्रयोगशाला और मध्य क्षेत्रीय कार्यालय को परिचालित।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)
HINDI TEACHING SCHEME (NORTH CENTRAL REGION)

क्रमांक/No : 3/8/2022-23/अनि. (म)/ 787

दिनांक/ Date : 23/4/2024

भक्त मं.

संपर्क अधिकारी (हिंदी)
कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी (राजभाषा)
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/नियम निकाय आदि,
दिल्ली, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
बिहार, चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर लिम्बोचन प्रदेश, उत्तराखण्ड, नागालैण्ड।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई, नवंबर, 2024 सत्र के नियमित हिंदी
प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकारिणिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के विभिन्न उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों,
बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर) का निर्देश, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध,
प्रवाण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र जुलाई, 2024 व पहले सप्ताह से प्रारम्भ किया जाएगा। कृपया अपने
कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन
प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 15 जुलाई, 2024 तक अग्रिम भिजवाने का कष्ट करें।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, 15 नवंबर, 2024 सत्र में हिंदी कक्षाएं ऑफलाइन चलाई जाएंगी।
हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों के लिए योग्य एवं पारंगत का निर्धारण निम्नलिखित
विवरण के अनुसार किया जाए :-

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 / East Block-7, Level-6, R.K. Puram, New Delhi-110066

भारत की सभी भाषाओं में, सब का काम हिंदी में करें

हिंदी प्रशिक्षण हेतु पात्रता

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों/निगमों/निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण ग्राम का सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए है। एकान्तर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।	जो अधिकारी कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं० 21034 66 (2019-गभा (प्रशिक्षण)दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, सधाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इनमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	यह पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए एकान्तर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।	-वही-
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदी/मराठी भाषा-भाषी कर्मियों/कर्मचारियों का नाम शामिल है और जिन्हें मिडिल स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण ग्राम पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए एकान्तर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।	-वही-
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी यंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वयंसेवक अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सर्वोच्च निकायों/उद्यमों/उपक्रमों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यरत/रत जिनके सभी कर्मियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 05 महीने के लिए एकान्तर दिवस 02 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।	जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं०- 21034 69 (2008) गभा(प्रशिक्षण)दिनांक 21.12.2020 के अनुसार नकद प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट:-

- जिन कर्मचारियों को कार्यालय में किसी प्रकार का सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, कार्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
 - जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं किसी प्रकार का सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (असं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
 - जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - सभी कार्मिक जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।
 - राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034 30/2009-रा.भा.-(प्रशिक्षण) दिनांक 06 जुलाई, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको प्रायतनम् हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पारंगत की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके तथा निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार व वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।
1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण
 - हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रणाली में भरा जाएगा। इस लिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर उप निदेशक (म.), हिंशियां, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्व ब्लॉक-7, लेवल-6, भा. के.पुरम, नई दिल्ली-110006, (अनुसूचक-II) भिजवाने जिससे उनका विवरण सही-सही भग जा सके।
 2. परीक्षा संबंधी सूचना
 - इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।
 - नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुसूचक-II) में दिनांक 15.07.2024 तक उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
 - प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो प्रश्न पत्र होते हैं यथा-प्रश्न पत्र I व प्रश्न पत्र II। इनकी परीक्षाओं की अवधि तीन-तीन घंटे की होगी और कुल अंक 100-100 की होगी। इसके अलावा प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों के लिए संशुद्ध परीक्षा भी ला जाएगी।
 3. परीक्षा शुल्क व भुगतान का माध्यम
 - केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
 - भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि केंसभी नियमित व प्राइवेट कार्मिकों के लिए रु 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
 4. पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पारदर्शी रासीद 'उप निदेशक (परीक्षा)' को भेजना अनिवार्य है।

5. पाठ्यपुस्तकें

सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

6. वित्तीय प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरा करने और निधि की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनपूर्विक वेतन वृद्धि का वैधानिक वेतन प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण कक्षा में आने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने वाले उन वास्तविक मार्ग व्यय स्थले, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्रमिक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		50% से 59%	60% से 69%	70% या अधिक
1.	प्रबोध	₹ 1000	₹ 2000	₹ 16000
2.	प्रवीण	₹ 1000	₹ 1200	₹ 1800
3.	प्राज्ञ	₹ 1000	₹ 1600	₹ 2400
4.	पारंगत	₹ 1000	₹ 2000	₹ 10000

प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का काराजो सं०-21034/66/2010-रा०भा० (प्रशि०) दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें तथा पारंगत परीक्षा के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का काराजो सं०-21034/69/2008-रा०भा० (प्रशि०) दिनांक 21 फरवरी 2010 देखें।

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/174-हिंदी/1 तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12034/174-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंत में केंद्र के संकाय सदस्य द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

8. नया केंद्र खोलने के संबंध में

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो हर कक्षा के लिए कम से कम 20 से 25 प्रशिक्षार्थियों को नामित करना सुनिश्चित करें। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.07.2024 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करवाकर राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नगश्यों को सन् 25 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सहायकीय होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरणे के साथ-साथ परीक्षा में अवगत बैठें।
- सभी मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का शत प्रतिशत अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- सभी मंत्रालयों से यह भी अनुरोध है कि वे हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित कार्य वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक-11) समय पर भेजें।

राज्य शिक्षक (मध्योत्तर) के अंगीत संभावित द्विती प्रशिक्षण केंद्रों के नाम व पते
(सत्र 2023-24)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र
1.	द्विती शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-66
2.	सीमा सड़क भवन, नगरपालिका, रिम रोड, नई दिल्ली
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर रोड, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली
4.	सिंहानु जे. परिमर, सिंहाणु जेल, ताराकमती रोड, नई दिल्ली
5.	एल भवन, एन घाटालय, सयथिना मार्ग, नई दिल्ली
6.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकबाद, नई दिल्ली
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा रोड, नई दिल्ली।
8.	भारतीय खनन प्राधिकरण, अजलाओने (स्टेडियम), नई दिल्ली।
9.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेक्टर - 13, आर. के. पुरम नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेक्टर-10, द्वापका, नई दिल्ली
11.	भारतीय निधि संगठन श्रीकाजी कामा क्षेत्र, नई दिल्ली-110066
12.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पी.वी. विला, दिल्ली-22
13.	गुटवियर डिजाइन एण्ड डेबलॉपमेंट इंजीनियरिंग, सेक्टर-21, नोएडा
14.	सी. टैक्स, सेक्टर-62, नोएडा
15.	56 एएनपी, एक्सफोर्स स्टेशन, डब्ल्यू आर रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
16.	सी. आई. एल. एफ., न्यू प्रेस कॉलोनी, लॉक रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
17.	राष्ट्रीय सीमेंट व भवन सामग्री परिषद, सिंहाणु रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
18.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय वायु सेना कार्यालय, सेक्टर-17, सपडीगढ़
19.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना कैंपस अड्डा, सपडीगढ़
20.	आई टी बी पी, भानु सपडीगढ़
21.	सी आर पी एफ, लालबास, जयपुर
22.	सीमा सुरक्षा बल, लखना कैंप, जयपुर
23.	सी आई एन एन, आगो, जयपुर
24.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, देवली
25.	द्विती शिक्षण योजना राष्ट्रीय महाविद्यालय जयपुर

* संकाय सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार

संपर्क सूत्र

<p>कार्यालय का पूरा पता :</p> <p>उपनिदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्वी खंड-7, लोवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26175246, 26191572</p>		
<p>डॉ० पी० वी० राधिका सहायक निदेशक व कार्यालयध्यक्ष मो० 9444622262 ई० मेल chti1185@nic.in ddhts-nc-dol@nic.in</p>	<p>डॉ० श्री रामेश्वर लाल मीना सहायक निदेशक मो० 9018451848 ई० मेल chti1272@nic.in</p>	
सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक का नाम	मोबाइल नम्बर	ई.मेल आई डी
1. श्रीमती नीपा शर्मा, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9899989821	chti1227@nic.in
2. श्री राजकुमार बाल्मिकी, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9071953257	chti1260@nic.in
3. श्रीमती सीमा गौरी, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9901197892	chti1267@nic.in
4. श्रीमती गोभा कुचुर, सहायक निदेशक (नई दिल्ली)	9810349284	chti1270@nic.in
5. श्रीमती सुनीता यादव, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9653009808	chti1281-dol@gov.in
6. सुश्री अंकिता मिश्रा, सहायक निदेशक (नई दिल्ली)	9210910570	chti1287-dol@nic.in
7. श्रीमती किरण लता यादव(हिंदी प्राध्यापक, नई दिल्ली)	9064220163	chti1299-dol@nic.in
8. श्रीमती पुनम, हिंदी प्राध्यापक, नई दिल्ली	9309696497	chti1305@nic.in
9. सुश्री सरोज बाला, हिंदी प्राध्यापक, (नई दिल्ली)	9776561154	chti1314-dol@gov.in
10. श्री राजेश कुमार मीना, सहायक निदेशक (दिल्ली)	9060174143	chti1277@nic.in
11. श्री महेश कुमार मीना, सहायक निदेशक (दिल्ली, सं. 33)	9008155071	maheshgudli007@gmail.com
12. डॉ० श्रीमती उर्मिला सेनी, सहायक निदेशक (नई दिल्ली)	8179250752	aurmitaseni21@gmail.com

सभी विभागाध्यक्षों/संगठक अधिकारियों में अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष फोन नंबर एवं ई मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार में सुविधा हो।
अन्य जानकारी के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,
23.04.2024

(डॉ.पी।वी। राधिका)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

पृष्ठांकन सं. 3/8/2023-उ.नि.(मध्योत्तर)/ 364
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 23.04.2024

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तलपट्टित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. मयुक्त निदेशक, (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पट्टित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (परीक्षा), आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (भाषा), कार्यगाना पत्राचार एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि), आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू चंडीगढ़/जयपुर/देवली (राजस्थान)

23.04.2024

(डॉ.पी।वी। राधिका)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी का नाम	कर्मचारियों	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालयका पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:
दिनांक

(हस्ताक्षर)
नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम.....

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर व ई मेल सहित

(कार्यालय की मोहर)

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली
प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य)	Gender (M / F / other)
पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband's name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation of the candidate
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
यंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल आई.डी./दूरभाष	Full office address With E. mail id/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण। Bank details of Examination fees:	
दूरभाष:	
Phone/mobile	
ई-मेल आई.डी.:	
E.mail Id of the candidate	

Note: Please fill up this form in bilingual

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

		1	2	3	4	5
		प्रशासनिक अधिकारी		प्रचालन अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	मद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी टंकण/आधुनिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या					
3.	मद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आधुनिक अंतिम परीक्षा थी।				
4.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आधुनिक अंतिम परीक्षा है।				

5.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।						
6.	वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।						
7.		जिनके लिए टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।						

कार्यालय अध्यक्ष का नाम.....

दूरभाष संख्या.....

ई-मेल

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

गोहर सहित

दूरभाष संख्या